संख्या–58 VI-I/2005/1(20)/2004

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति विभाग,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग :

देहरादून : दिनांक07 फरवरी, 2005

विषयः–निदेशालय, उत्तरांचल, देहरादून के नितान्त आकस्मिक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु स्थायी अग्रिम की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1063/सं0नि0उ0/दो–3/2004–05/दिनांक 17 दिसम्बर, 2004 के सन्दर्भ में वित्त अनुभाग–2 के परामर्शानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय रू0 20.00 हजार (रू0 बीस हजार मात्र) आहरित कर निदेशक, संस्कृति के निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान करते हैं।

2– यह आदेश वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5, भाग–1, अध्याय–3 के अनुच्छेद–67(1) ख में वर्णित उपबन्धों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

3– यदि कोई अधिकारी कार्यमुक्त होता है तो ऐसे अग्रिम का प्रभार अपने उत्तराधिकारी को अधिकारिक तौर पर देगा।

4– उक्त स्थायी अग्रिम की पंजी में भुगतान एवं प्राप्ति दिनांक कर लिखना अनिवार्य होगा तथा धनराशि की सेफ कस्टडी भी होनी चाहिए।

5– उक्त स्थायी अग्रिम वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–सांस्कृतिक कार्य निदेशालय–00–08– कार्यालय व्यय मद के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत आहरित किया जायेगा।

6– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या–1186/वित्त अनुभाग–2/2004 दिनांक 03 जनवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– VI-I/1(20)2004, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल, देहरादून।
4– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव वित्त।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
7– नियोजन अनुभाग–3
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।